

# न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 16/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/136)

1. राजाराम पुत्र दाताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर, जिला अलवर।
2. दीपचन्द पुत्र दाताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर, जिला अलवर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर।

– रेस्पोंडेन्ट

अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर निर्णय दिनांक 10.03.2022 जो अपील संख्या 12/121/2021 अनुवानी राजाराम बनाम राजस्थान सरकार पर पारित किया गया।

उपस्थित :-

1. श्री कमल सिंह रावत, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोंडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक –10.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 10.03.2022 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 31.05.2022 को पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 21.05.2018 द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध संवत् 2074 में वाके ग्राम धीरपुर, तहसील बानसूर की आराजी भूमि खसरा नम्बर 646 कुल रकबा 3.53 है० में से 1.25 है० एवं खसरा नम्बर 656 कुल रकबा 3.04 है० में से 0.70 है० किरम गै०मु० खाल खदर पर गेहूँ/सरसों की फसल काश्त करने/मकान बनाकर अवैध कब्जा करने पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं 3 माह (90 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के यहाँ पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2022 द्वारा खारिज कर दी गयी।
3. तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 21.05.2018 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 10.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर दिनांक 21.05.2018 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा दिनांक 10.03.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य बखूबी साबित था कि न्यायालय तहसीलदार बानसूर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.05.2018 को पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को कोई विधिक नोटिस एवं साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। जिस कारण से अपीलान्ट्स अपना पक्ष उनके समक्ष कानूनी तरीके से नहीं रख पाये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब बानसूर के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का कोई पुरख्ता सबूत कानूनी रूप से साबित नहीं था। अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में विधिक भूल की है। जिस कारण भी निर्णय दोनों अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब, बानसूर के द्वारा अपना निर्णय दिनांक 21.05.2018 पारित करने से पूर्व विवादित आराजी की पैमाईश एवं सीमाज्ञान आदि भौतिक रूप से मौके पर नहीं करवाया गया था। अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष यह तथ्य साबित था कि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के बाबत मौके की रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर व पटवारी हल्का से मंगवायी गयी थी। जो मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है, जिस रिपोर्ट में स्थानीय पटवारी हल्का के द्वारा तहसीलदार बानसूर को जरिये यह रिपोर्ट प्रेषित की थी कि विवादित आराजी से अपीलान्ट के द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है, तथा वर्तमान में विवादित आराजी मौके पर खाली पडी हुई है, किसी का कब्जा नहीं है, तो ऐसी सूत्र में यदि अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मान भी लिया जावे तो भी अधीनस्थ न्यायालय को सिविल कारावास की सजा के बिन्दु पर नरमी का रुख अपनाते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। ऐसा ना कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के द्वारा निर्णय दिनांक 10.03.2022 को पारित किया गया था, उससे पूर्व कोरोना के कारण अदालतें बन्द थी तथा अदालतें खुलने के बाद अपीलान्ट अपने परिवार में शादी विवाह होने के कारण अत्यधिक व्यस्त हो गया। जिस कारण से अपने वकील साहब से अपील के बारे में जानकारी नहीं ले पाया। दिनांक 19.05.2022 को अपीलान्ट अपनी तारीख पेशी की जानकारी करने हेतु अलवर कोर्ट परिसर में आया तो वकील साहब ने बताया कि आपकी अपील में बहस सुनकर दिनांक 10.03.2022 को निर्णय पारित कर अपील को खारिज कर दिया गया है तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ लेकर अपील पेश करने हेतु कानूनी राय दी गयी। जिसके पश्चात् नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.2022 को पेश किया। जो नकल दिनांक 23.05.2022 को मिली व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर के निर्णय की नकल का आवेदन दिनांक 24.05.2022 को पेश किया गया, जो नकल दिनांक 24.05.2022 को प्राप्त हुई। अपील जानकारी होने की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 10.03.2022 व तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 21.05.2018 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोजेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स ने संवत् 2074 में वाके ग्राम धीरपुर, तहसील बानसूर की आराजी भूमि खसरा नम्बर 646 कुल रकबा 3.53 है० में से 1.25 है० एवं खसरा नम्बर 656 कुल रकबा 3.04 है० में से 0.70 है० किरम गै० मु० खाल खदर पर गेहूँ/सरसों की फसल काश्त कर/मकान बनाकर अवैध कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से तहसीलदार बानसूर के निर्णय दिनांक 21.05.2018 के द्वारा 50 गुणा पैनल्टी कायमी करने साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2022 द्वारा खारिज कर दी गयी। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही दिनांक 19.05.2022 को नकल हेतु आवेदन पेश करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित

तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रुख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रुख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून गियाद अधिनियम को रवीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर तथा न्यायालय तहसीलदार बानसूर की पत्रावली संख्या 625/18 उनवान सरकार बनाम रतिराम जो समान प्रवृत्ति की है, के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट दिनांक 28.02.2018 में अपीलान्ट्स ने संवत 2074 में वाके ग्राम धीरपुर, तहसील बानसूर की आराजी भूमि खसरा नम्बर 646 कुल रकबा 3.53 है० में से 1.25 है० एवं खसरा नम्बर 656 कुल रकबा 3.04 है० में से 0.70 है० किरम गै०मु० खाल खदर पर गेहूँ/सरसों की फसल काश्त कर/मकान बनाकर अवैध कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करना अंकित किया है, जो सरकार है तथा पटवारी हल्का के बयान दिनांक 21.05.2018 के अनुसार अतिक्रमी अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 3.53 है० व खसरा नम्बर 656 रकबा 3.04 है० से भौतिक रूप से संवत 2073 में बेदखल किया गया था, लेकिन फिर भी अपीलान्ट्स द्वारा संवत 2074 में पुनः अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 11.08.2018 के अनुसार अतिक्रमी द्वारा ग्वार की फसल को ट्रेक्टर से हल चलाकर नष्ट किया जाना अंकित किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अतिक्रमी द्वारा गेहूँ/सरसों की फसल बोककर एवं मकान बनाकर अवैध कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया था एवं उक्त फसल को हटाया जाना भी पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार प्रमाणित नहीं होता है। ग्वार की फसल को नष्ट किये जाने से अतिक्रमी का गेहूँ/सरसों की फसल बोककर एवं मकान बनाकर किया गया अतिक्रमण एवं इसका प्रभाव समाप्त नहीं होता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अतिक्रमी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण गेहूँ/सरसों की फसल बोककर एवं मकान बनाकर किया गया है तथा तदुपरान्त ग्वार की फसल की बुआई कर एक बार फिर से अतिक्रमण किया गया है, जिससे यह बखूबी साबित है कि अतिक्रमी अतिक्रमण करने का अभ्यस्त है। अपीलान्ट्स को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानूनन गै०मु० खाल खदर की भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में गै०मु० खाल खदर की भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण गै०मु० खाल खदर की भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.03.2022 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2022 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त जिला आयुक्त  
(डा. प्रवीण कुमार)  
जयपुर  
अति. सम्मानीय आयुक्त,  
जयपुर

निर्णय दिनांक 10.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला आयुक्त  
अति. सम्मानीय आयुक्त,  
जयपुर